

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

:: शपथ-पत्र/बंध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप ::

मैं अमरदीन पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी ग्राम घुरिया तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरी संस्था का नाम सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान, घुरिया एवं संस्था का पंजीयन संख्या 1870/2019 यह है।
2. मेरी गौशाला/पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम घुरिया तहसील का नाम जैसलमेर जिले का नाम जैसलमेर यह है।
3. मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अमाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा छोड़े गये 270 बड़े 20 छोटे कुल 290 पशु संधारित हैं।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

SIGNATURE/ASSESTED

Keshar Singh Bhat
Notary Public Zinzirya

अध्यक्ष

सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान
शपथग्रहिता घुरिया, जैसलमेर

तसदीक :- मैं अमरदीन पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी- ग्राम घुरिया तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

दिनांक :-

SIGNATURE/ASSESTED

Keshar Singh Bhat

शपथग्रहिता :-

अध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 1870/2019

दिनांक 10.05.2019

डिस्पेंच नं. 32

दिनांक 10.05.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान
ग्राम धुरिगा पोस्ट डेदा
तहसील सम जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री रबुर्कीर्दि अली (कोवाध्यक्ष) व्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया है।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्ट्रार) करली गई है।

आज दिनांक दस माई वर्ष दो हजार उन्नीस



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर)